[2021] 8 एस. सी. आर 352

एम/एस। चेमिनोवा इंडिया लिमिटेड। & एएनआर।

वी.

पंजाब राज्य और ए. एन. आर.

(2021 की आपराधिक अपील No.749)

04 अगस्त, 2021

[नवीन सिन्हा और आर. सुभाष रेड्डी, जे. जे।]

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973: s.469-सीमा की अवधि की शुरुआत-गलत ब्रांडिंग की शिकायत-नमूने तैयार किए गए

विक्रेता से 10.02.2011 पर और कीटनाशक परीक्षण प्रयोगशाला को 17.02.2011 पर भेजा गया; और विश्लेषण की रिपोर्ट 14.03.2011 पर प्राप्त हुई-अपीलकर्ता-निर्माता को कारण बताएँ नोटिस के साथ दिया गया-दूसरे नमूने के पुनः विश्लेषण के लिए 15.04.2011 पर अनुरोध किया गया-दूसरा नमूना 02.05.2011 पर भेजा गया और पुनः विश्लेषण रिपोर्ट 09.12.2011 पर प्राप्त हुई-25.03.2014 पर दायर शिकायत

क्या शिकायत समय-वर्जित थी-आयोजितः 14.03.2011 पर प्रयोगशाला से प्राप्त विश्लेषण की रिपोर्ट ने ही संकेत दिया

मिसब्रांडिंग-इस प्रकार एस के अर्थ के भीतर सीमा की अवधि। 469 केवल 14.03.2011 से शुरू की गई-शिकायत समय पर रोक थी - सीमा-विलंब/अंतराल-कीटनाशक अधिनियम, 1968-एस. एस. 3 (क) (i), 17,18,29 और 33।

अपील को अनुमति देते हुए, न्यायालय ने

पकड़नाः 1. अपीलार्थियों पर कीटनाशक की गलत ब्रांडिंग के आधार पर मुकदमा चलाने की मांग की गई है, अर्थात, ट्राइज़ोफ़ोस 40 प्रतिशत ई. सी. शिकायत में यह आरोप है कि नमूने के विश्लेषण पर, इसमें 40 प्रतिशत की लेबल की गई घोषणा के मुकाबले केवल 34.70% की सीमा तक सक्रिय घटक पाया गया था। इस प्रकार, यह अधिनियम की धारा 3 (के) (आई) के अर्थ के भीतर 'गलत ब्रांडिंग' का मामला है और इस तरह की गलत ब्रांडेड वस्तु की बिक्री का उल्लंघन है

अधिनियम की धारा 29 के तहत दंडनीय धारा 17,18 और 33। धारा 29 के पठन से यह स्पष्ट है कि अधिकतम

ऐसे अपराध के लिए सजा, यदि यह पहला अपराध है, एक अवधि के लिए कारावास है जो दो साल तक बढ़ सकता है या जुर्माना जो दस हजार रुपये से कम नहीं होगा जो पचास तक बढ़ सकता है। हजार रुपये, या दोनों के साथ। दूसरे और बाद के अपराध के लिए, सजा एक अवधि के लिए कारावास है जो तीन साल तक बढ़ सकती है या जुर्माने के साथ जो इससे कम नहीं होगा।

352 एम/एस। चेमिनोवा इंडिया लिमिटेड। & एएनआर। वी. पंजाब राज्य और ए. एन. आर.

पंद्रह हजार रुपये जो सत्तर-पाँच हजार रुपये तक बढ़ सकते हैं, या दोनों के साथ। Cr.PC की धारा 468 सीमा की अवधि समाप्त होने के बाद किसी अपराध का संज्ञान लेने से मना करती है। उसकी उप-धारा (2) (सी) के अनुसार, सीमा की अवधि तीन साल है, यदि अपराध दंडनीय है -

एक वर्ष से अधिक लेकिन तीन वर्ष से अधिक की अवधि के लिए कारावास। Cr.PC की धारा 469 'सीमा की अवधि की शुरुआत' से संबंधित है। उक्त प्रावधान के अनुसार, एक अपराधी के संबंध में सीमा की अवधि, अपराध की तारीख से शुरू होगी या जहां अपराध से पीड़ित व्यक्ति या किसी पुलिस अधिकारी को अपराध के होने का पता नहीं था, पहले दिन जिस दिन ऐसा अपराध ऐसे व्यक्ति या किसी पुलिस अधिकारी के संज्ञान में आता है, जो भी पहले हो। [पैरा 9] [357-सी-एच]

2. वर्तमान मामले में, यह विवाद में नहीं है, शिकायतकर्ता को कीटनाशक से 14.03.2011 पर विश्लेषण की रिपोर्ट प्राप्त हुई

परीक्षण प्रयोगशाला, लुधियाना और शिकायत 25.03.2014 पर दर्ज की गई थी जो 14.03.2011 से तीन साल की अवधि से अधिक थी। राज्य के लिए एकमात्र निवेदन यह था कि केंद्रीय कीटनाशक परीक्षण प्रयोगशाला से आगे की रिपोर्ट थी 09.12.2011 पर प्राप्त जो तथ्यों का निर्णायक साक्ष्य है, इस प्रकार, शिकायत सीमा की अवधि के भीतर है। इस तरह की प्रस्तुति आश्वस्त करने वाली नहीं है। प्रक्रिया के अनुसार

कानून, यानी कीटनाशक अधिनियम, 1968 और उसके तहत बनाए गए नियमों, कीटनाशक परीक्षण प्रयोगशाला के तहत निर्धारित,

लुधियाना वह सक्षम प्राधिकारी था जिसे 10.02.2011 पर ड्राइंग करने के बाद 17.02.2011 पर नमूना भेजा गया था, और विश्लेषण की रिपोर्ट 14.03.2011 पर प्राप्त हुई थी, क्योंकि उक्त तिथि को अवधि शुरू करने के लिए महत्वपूर्ण तिथि कहा जाता है। सीमा। 14.03.2011 पर प्राप्त उक्त रिपोर्ट के आधार पर, जिसमें कहा गया है कि नमूने का सक्रिय घटक केवल 34.70% तक था, जबकि लेबल की गई घोषणा 40 प्रतिशत थी, यह स्पष्ट है कि यह अभियुक्त द्वारा कथित रूप से किए गए अपराध की तारीख है। केवल इसलिए कि केंद्रीय कीटनाशक परीक्षण प्रयोगशाला को नमूना भेजने के लिए एक और अनुरोध किया गया है, जैसा कि अधिनियम की धारा 24 (4) के तहत विचार किया गया है, जो रिपोर्ट 09.12.2011 पर प्राप्त हुई थी, इस तरह के विश्लेषण रिपोर्ट की प्राप्ति

09.12.2011 यह सीमा की शुरुआत का आधार नहीं हो सकता है। कीटनाशक परीक्षण सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट से प्राप्त विश्लेषण की रिपोर्ट

21] 8 एस सी आर।

प्रयोगशाला, लुधियाना स्वयं 14.03.2011 पर गलत ब्रांडिंग का संकेत देती है, जैसा कि शिकायत में कहा गया है, इस प्रकार, धारा 469, Cr.PC के अर्थ के भीतर सीमा की अवधि केवल 14.03.2011 से शुरू होती है। मामले के उस दृष्टिकोण में, दायर की गई शिकायत को सीमा द्वारा वर्जित किया जाता है और कार्यवाही को जारी रखने की अनुमति दी जाती है, जैसे कि

शिकायत, जो प्रत्यक्ष रूप से सीमा द्वारा वर्जित है, कुछ और नहीं बल्कि कानून की प्रक्रिया के दुरुपयोग के बराबर है। [पैरा 10] [358-ए-जी]

आपराधिक अपील न्यायनिर्णयः आपराधिक अपील

2021 का No.749।

2020 के सी. आर. एम.-एम. No.1162 में चंडीगढ़ में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के दिनांकित <आई. डी. 2 के निर्णय और आदेश से। गुरु कृष्णकुमार, सिद्धार्थ लूथरा, वरिष्ठ अधिवक्ता। , एस. हरिहरन, नितिन थताई, सुश्री जयक्रिती एस. जडेजा, सुश्री स्नेहा रवि अय्यर, अधिवक्ता। के लिए

अपीलार्थी।

सुश्री जसप्रित गोगिया, सुश्री मंदाकिनी सिंह, करणवीर गोगिया, सुश्री शिवांगी सिंघल, सुश्री आशिमा मंडला, अधिवक्ता। उत्तरदाताओं के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

आर. सुभाष रेड्डी, जे.

1. छुट्टी दे दी गई।

2. यह आपराधिक अपील पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा पारित दिनांक 12.05.2020 के आदेश से व्यथित होकर दायर की गई है।

चंडीगढ़। उपरोक्त आदेश द्वारा, उच्च न्यायालय ने अपीलार्थियों के संबंध में सी. आर. एम.-एम. No.1162-2020 (ओ. एंड. एम.) में याचिका को खारिज कर दिया है। याचिकाकर्ताओं ने इसे रद्द करने के लिए उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है

दूसरे प्रत्यर्थी द्वारा दायर शिकायत संख्या 26 दिनांक 25.03.2014

3. 10.02.2011 पर, कीटनाशक निरीक्षक, अटारी, जिला अमृतसर ने फर्म-मेसर्स के परिसर का निरीक्षण किया। नवनीत सिंह-रेलवे में रोड, अटारी, जिला अमृतसर जहाँ इसके एकमात्र मालिक श्री. नवनीत सिंह उपस्थित थे। एम/एस। नवनीत सिंह पहली अपीलकर्ता कंपनी के डीलर हैं जो कीटनाशकों के निर्माण में लगी हुई है।

एम/एस पर। चेमिनोवा इंडिया लिमिटेड। & एएनआर। वी. पंजाब राज्य और ए. एन. आर. [आर. सुभाष रेड्डी, जे।]

निरीक्षण के दिन, निरीक्षण अधिकारी को कीटनाशक के 60 टिन मिले। , बिक्री के लिए परिसर में ट्राइज़ोफ़ोस 40 प्रतिशत ई. सी. निरीक्षण अधिकारी ने 60 टिनों में से तीन टिनों को परीक्षण नमूनों के रूप में लिया है और इस आधार पर कि विश्लेषण के लिए भेजे गए नमूनों में केवल 40 प्रतिशत की लेबल की गई घोषणा के मुकाबले 34.70% की सीमा तक सक्रिय घटक पाए गए हैं, यह आरोप लगाते हुए कि यह अधिनियम की धारा 3 (k) (i) के अर्थ के भीतर 'गलत ब्रांडिंग' के बराबर है और ऐसी वस्तु की बिक्री अधिनियम की धारा 17,18 और 33 के तहत दंडनीय अपराध है, दूसरे प्रतिवादी ने 2014 की धारा 29 के तहत मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अमृतसर के समक्ष शिकायत दर्ज कराई है। उक्त शिकायत में, उस डीलर के साथ, जिससे नमूने जब्त किए गए थे, पहले अपीलार्थी-कंपनी, दूसरे अपीलार्थी-प्रबंध निदेशक और अन्य व्यक्तियों पर मुकदमा चलाने की मांग की गई है।

4. अपीलार्थियों और अन्य अभियुक्तों ने मुख्य रूप से इस आधार पर शिकायत को रद्द करने के लिए उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है कि शिकायत को सीमा द्वारा बाधित किया गया था और धारा 24 के तहत निर्धारित प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया था। अपीलार्थियों का मामला था कि नमूनों के परीक्षण में असामान्य देरी हुई थी, जैसे कि धारा 24 के तहत निर्धारित समय सीमा जो अनिवार्य है, का उल्लंघन किया जाता है, इस प्रकार, शिकायत रद्द करने के लिए उपयुक्त है। अपीलार्थियों का यह भी मामला था कि गुणवत्ता नियंत्रण के जिम्मेदार अधिकारियों को इंगित करते हुए आवश्यक उपक्रम पहले ही दायर किए जा चुके थे, क्योंकि इसमें अपीलार्थी अभियोजन के लिए बिल्कुल भी उत्तरदायी नहीं हैं और शिकायत आवश्यक पहलुओं की जांच किए बिना आकस्मिक तरीके से दायर की गई थी। अपीलार्थियों का यह भी मामला था कि मजिस्ट्रेट ने दंड प्रक्रिया संहिता (Cr.PC) की धारा 202 के तहत निर्धारित प्रक्रिया का पालन नहीं किया है। उच्च न्यायालय ने, आक्षेपित आदेश द्वारा, जहां तक अपीलार्थियों का संबंध है, याचिका को खारिज कर दिया है और जहां तक याचिकाकर्ता नं. 4 उच्च न्यायालय के समक्ष, जो फर्म के गोदाम प्रभारी थे।

5. हमने श्री एस. गुरुकृष्ण कुमार को सुना है, जो अपीलार्थियों के लिए सुश्री जयक्रिती एस. जडेजा द्वारा सहायता प्राप्त विद्वान वरिष्ठ वकील हैं और

पंजाब राज्य की ओर से पेश विद्वान वकील सुश्री जसप्रित गोगिया ने विस्तार से कहा। 6. अपीलार्थियों के वरिष्ठ वकील श्री गुरुकृष्ण कुमार ने विवादित आदेश के पृष्ठ 10 का उल्लेख करते हुए कहा है कि

विक्रेता से 10.02.2011 पर नमूने लिए गए थे; उन्हें 17.02.2011 पर कीटनाशक परीक्षण प्रयोगशाला, लुधियाना भेजा गया था; और रिपोर्ट [2021] 8 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

कीटनाशक परीक्षण प्रयोगशाला, लुधियाना से 14.03.2011 पर विश्लेषण प्राप्त किया गया था। इसके अलावा, यह प्रस्तुत किया जाता है कि आवश्यकता के बाद अपीलकर्ता-निर्माता और उसके पदाधिकारियों को कारण बताएँ नोटिस दिया गया था, उन्होंने दूसरे नमूने के पुनः विश्लेषण के लिए एक पत्र को संबोधित करते हुए अनुरोध किया और आवश्यक मांग मसौदा जमा करने के बाद, दूसरा नमूना केंद्रीय कीटनाशक परीक्षण प्रयोगशाला, फरीदाबाद को 02.05.2011 पर पुनः विश्लेषण के लिए भेजा गया था और पुनः विश्लेषण रिपोर्ट आई. डी. 1 पर भेजा गया था।

09.12.2011 पर देर से प्राप्त किया गया जो स्पष्ट रूप से अधिनियम की धारा 24 (4) का उल्लंघन है। विद्वान वकील ने अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधानों का उल्लेख करते हुए कहा है कि गलत ब्रांडिंग के अपराध के लिए, जैसा कि शिकायत में आरोप लगाया गया है, अधिकतम सजा कारावास है जो दो साल तक बढ़ सकती है या जुर्माना जो दस हजार रुपये से कम नहीं होगा या दोनों के साथ। यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि ऐसे मामलों में शिकायत दर्ज करने की सीमा अपराध करने की तारीख से तीन साल है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि कीटनाशक परीक्षण प्रयोगशाला, लुधियाना के विश्लेषण की रिपोर्ट की तारीख से शिकायत दर्ज करने की सीमा केवल 14.03.2014 तक थी, हालाँकि, शिकायत 25.03.2014 पर दर्ज की गई थी, जो सीमा की अवधि से परे है। इसके बावजूद, उच्च न्यायालय ने इस पर उचित रूप से विचार नहीं किया है दृष्टिकोण। विद्वान वकील ने अधिनियम की धारा 24 के तहत प्रावधानों का जिक्र करते हुए कहा है कि दूसरी रिपोर्ट के लिए समय सीमा भी तय की गई है, यानी नमूना भेजने की तारीख से तीस दिन, लेकिन इसके बावजूद केंद्रीय कीटनाशक परीक्षण प्रयोगशाला, फरीदाबाद ने रिपोर्ट में सात महीने की देरी की है, जो स्पष्ट रूप से अधिनियम का उल्लंघन है।

अधिनियम की धारा 24 (4)। विद्वान वकील ने यह भी प्रस्तुत किया है कि समन जारी करते समय, मजिस्ट्रेट द्वारा धारा 202, Cr.PC के तहत विचार की गई प्रक्रिया का पालन नहीं किया जाता है।

7. दूसरी ओर, राज्य की ओर से पेश विद्वान वकील सुश्री जसप्रित गोगिया ने अपीलार्थियों के विद्वान वरिष्ठ वकील द्वारा की गई विभिन्न दलीलों का खंडन करते हुए कहा है कि हालांकि कीटनाशक परीक्षण प्रयोगशाला से विश्लेषण की पहली रिपोर्ट,

लुधियाना को 14.03.2011 पर प्राप्त किया गया था, अपीलकर्ताओं ने दूसरे नमूने को केंद्रीय कीटनाशक परीक्षण प्रयोगशाला, फरीदाबाद भेजने का अनुरोध किया है, जिसे डिमांड ड्राफ्ट जमा करने के बाद विधिवत भेजा गया था।

02.05.2011 और दूसरे नमूने पर पुनः विश्लेषण केंद्रीय कीटनाशक परीक्षण प्रयोगशाला, फरीदाबाद से 09.12.2011 पर प्राप्त किया गया था। अधिनियम की धारा 24 (4) का उल्लेख करते हुए, विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया है कि इस तरह के दूसरे नमूने पर रिपोर्ट निर्णायक सबूत होगी, जैसे, यह नहीं कहा जा सकता है, शिकायत सीमा द्वारा वर्जित है। इसके अलावा, एम/एस।

चेमिनोवा इंडिया लिमिटेड। & एएनआर। वी. पंजाब राज्य और ए. एन. आर. [आर. सुभाष रेड्डी, जे।]

विद्वान वकील का यह निवेदन है कि अधिनियम की धारा 24 (4) के तहत समय-सीमा का पालन किया गया था और दायर की गई शिकायत सीमा द्वारा वर्जित नहीं है और प्रक्रिया का उल्लंघन भी नहीं है।

धारा 202, Cr.PC के तहत विचार किया गया।

8. पक्षों के विद्वान वकील को सुनने के बाद, हमने विवादित आदेश और रिकॉर्ड पर रखी गई अन्य सामग्री का अध्ययन किया है।

9. इस निर्विवाद तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि डीलर से विश्लेषण की रिपोर्ट पर नमूना लेने के बाद लुधियाना में कीटनाशक परीक्षण प्रयोगशाला से 14.03.2011 पर प्राप्त किया गया था, हमारा दृढ़ विचार है कि दायर की गई शिकायत सीमा द्वारा वर्जित है। यह विवाद में नहीं है कि कीटनाशक परीक्षण प्रयोगशाला, लुधियाना से रिपोर्ट इंस्पेक्टर को 14.03.2011 पर प्राप्त हुई थी। अधिनियम की धारा 29 'अपराधों और सजा' से संबंधित है। अपीलकर्ताओं की मांग की जाती है कि

कीटनाशक की गलत ब्रांडिंग के आधार पर मुकदमा चलाया गया, यानी, ट्राइज़ोफ़ोस 40 प्रतिशत ई. सी. शिकायत में आरोप है कि नमूने के विश्लेषण पर, इसमें 40 प्रतिशत की लेबल की गई घोषणा के मुकाबले केवल 34.70% की सीमा तक सक्रिय घटक पाया गया। अतः यह एक

अधिनियम की धारा 3 (के) (आई) के अर्थ के भीतर 'गलत ब्रांडिंग' का मामला और इस तरह की गलत ब्रांडिंग वाली वस्तु की बिक्री अधिनियम की धारा 17,18 और 33 का उल्लंघन है जो अधिनियम की धारा 29 के तहत दंडनीय है। धारा 29 के पढ़ने से यह स्पष्ट है कि ऐसे अपराध के लिए अधिकतम सजा, यदि यह पहला अपराध है, तो कारावास है जो दो साल तक बढ़ सकता है या जुर्माना जो दस हजार रुपये से कम नहीं होगा।

पचास हजार रुपये तक, या दोनों के साथ। दूसरे और बाद के अपराध के लिए, सजा एक अवधि के लिए कारावास है जो तीन साल तक बढ़ सकती है या जुर्माने के साथ जो पंद्रह हजार रुपये से कम नहीं होगी जो सत्तर-पांच हजार रुपये तक बढ़ सकती है, या दोनों के साथ। Cr.PC की धारा 468 सीमा की अवधि समाप्त होने के बाद किसी अपराध का संज्ञान लेने से मना करती है। उसकी उप-धारा (2) (सी) के अनुसार, सीमा की अवधि तीन साल है, यदि अपराध कारावास से दंडनीय है।

एक वर्ष से अधिक लेकिन तीन वर्ष से अधिक की अवधि के लिए नहीं। Cr.PC की धारा 469 'सीमा की अवधि' के प्रारंभ से संबंधित है। उक्त प्रावधान के अनुसार, किसी अपराधी के संबंध में सीमा की अवधि अपराध की तारीख से शुरू होगी या जहां पीड़ित व्यक्ति को अपराध के बारे में पता नहीं था

अपराध या किसी पुलिस अधिकारी के लिए, पहले दिन जब ऐसा अपराध ऐसे व्यक्ति या किसी पुलिस अधिकारी के संज्ञान में आता है, जो भी पहले हो।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

10. वर्तमान मामले में, यह विवाद में नहीं है, शिकायतकर्ता-दूसरे प्रतिवादी को 14.03.2011 पर विश्लेषण की रिपोर्ट प्राप्त हुई है

10.02.2011 पर ड्राइंग, और विश्लेषण की रिपोर्ट 14.03.2011 पर प्राप्त हुई थी, इसलिए उक्त तिथि को सीमा की अवधि शुरू करने के लिए महत्वपूर्ण तिथि कहा जाता है। 14.03.2011 पर प्राप्त उक्त रिपोर्ट के आधार पर, जिसमें कहा गया है कि नमूने का सक्रिय घटक केवल 34.70% तक था, जबकि लेबल की गई घोषणा 40 प्रतिशत थी, यह स्पष्ट है कि यह अभियुक्त द्वारा कथित रूप से किए गए अपराध की तारीख है। केवल इसलिए कि केंद्रीय कीटनाशक परीक्षण प्रयोगशाला को नमूना भेजने के लिए एक और अनुरोध किया गया है, जैसा कि अधिनियम की धारा 24 (4) के तहत विचार किया गया है, जो रिपोर्ट 09.12.2011 पर प्राप्त हुई थी, 09.12.2011 पर ऐसी विश्लेषण रिपोर्ट की प्राप्ति का आधार नहीं हो सकता है। सीमा की शुरुआत। कीटनाशक परीक्षण प्रयोगशाला, लुधियाना से 14.03.2011 पर प्राप्त विश्लेषण की रिपोर्ट ही गलत ब्रांडिंग का संकेत देती है, जैसा कि शिकायत में कहा गया है, इस प्रकार, धारा 469, Cr.PC के अर्थ के भीतर सीमा की अवधि केवल 14.03.2011 से शुरू होती है। मामले के उस दृष्टिकोण में, हमारा स्पष्ट रूप से यह विचार है कि दायर की गई शिकायत सीमितता और कार्यवाही को जाने की अनुमति देने से वर्जित है

ऐसी शिकायत पर, जो प्रत्यक्ष रूप से सीमा द्वारा वर्जित है, कुछ और नहीं बल्कि कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग है। हालाँकि विद्वान वकील ने रद्द करने के समर्थन में अन्य आधार भी उठाए हैं, क्योंकि हम उनकी इस दलील को स्वीकार करने के लिए राजी हैं कि दायर की गई शिकायत सीमितता से वर्जित है, लेकिन उठाए गए ऐसे अन्य आधारों से निपटना आवश्यक नहीं है।

11. उपरोक्त कारणों से, इस आपराधिक अपील की अनुमति है। पंजाब उच्च न्यायालय मेसर्स द्वारा पारित दिनांक 12.05.2020 का विवादित आदेश।

चेमिनोवा इंडिया लिमिटेड। & एएनआर। वी. पंजाब राज्य और ए. एन. आर. [आर. सुभाष रेड्डी, जे।]

& हरियाणा में चंडीगढ़ में सी. आर. एम.-एम. No.1162-2020 (ओ. एंड. एम.) को दरकिनार कर दिया गया है नतीजतन, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अमृतसर के समक्ष प्रतिबादी द्वारा दायर शिकायत संख्या 26 दिनांक <आई. डी. 1 रद्द कर दी गई है।

देविका गुजराल

अपील की अनुमति दी गई